भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *147
जिसका उत्तर शुक्रवार, 16 दिसम्बर, 2022 को दिया जाना है

न्यायिक प्रणाली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स का उपयोग

***147. श्री सुनील कुमार सिंह :**
श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारे :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झारखंड राज्य में कार्यशील ई-न्यायालयों की संख्या जिला-वार कितनी है ;

(ख) क्या सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) टूल्स जैसे कि सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर (एसयूवीएएस) तथा सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी (एसयूपीएसीई) विकसित किया है और इसे न्यायिक प्रणाली में लागू करने का विचार रखती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने भारतीय न्याय प्रणाली के लिए और अधिक एआई टूल्स के विकास के लिए कुछ निजी संस्थाओं के साथ सहयोग किया है/ सहयोग करने का विचार रखा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार ई- न्यायालय चरण-III के कार्यान्वयन में एआई और ब्लॉक चेन प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) क्या उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमेटी एआई प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग की पहचान के लिए न्यायिक दस्तावेजों के अनुवाद, कानूनी अनुसंधान सहायता और प्रोसेस ऑटोमेशन के अलावा अन्य डोमेन का पता लगा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ङ) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

****

<u>लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *147 जिसका उत्तर तारीख 16.12.2022 को दिया जाना है के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।</u>

(क) : ई-न्यायालय परियोजना के अधीन झारखंड में कुल 515 न्यायालय कार्यरत हैं। न्यायालयों की जिलेवार सूची **उपाबंध-I** पर संलग्न है:

(ख) से (घ) : राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के भाग के रूप में, भारतीय न्यायपालिका के आईसीटी विकास के लिए ई-न्यायालय परियोजना 2007 से कार्यान्वयन के अधीन है, जो "भारतीय न्यायपालिका में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना" पर आधारित है”। यह परियोजना संबंधित उच्च न्यायालयों के माध्यम से विकेंद्रीकृत तरीके से न्याय विभाग, भारत सरकार और भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति की संयुक्त साझेदारी के अधीन कार्यान्वित की जा रही है। भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में, देश के विभिन्न न्यायालयों में ई-न्यायालय परियोजना के कार्यान्वयन के लिए नीति नियोजन, रणनीतिक दिशा और मार्गदर्शन के लिए उत्तरदायी है। न्याय विभाग, भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति की सिफारिश पर उच्च न्यायालयों को निधियां जारी करता है। न्यायिक क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के उपयोग का पता लगाने के लिए, भारत के उच्चतम न्यायालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमेटी का गठन किया है, जिसने मुख्य रूप से न्यायिक दस्तावेजों के अनुवाद, विधिक अनुसंधान में सहायता और प्रक्रिया स्वचालन में एआई तकनीक के अनुप्रयोग की पहचान की है।

एआई समिति के पर्यवेक्षण में, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल, एसयूवीएएस (सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर) न्यायिक डोमेन अंग्रेजी दस्तावेजों को स्थानीय भाषाओं में अनुवाद करने और इसके विपर्ययेन के लिए विकसित किया गया है । आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमेटी द्वारा ऐसे प्रयोजन के लिए एआई आधारित विधिक अनुसंधान सहायता टूल, एसयूपीएसीई (सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी) विकसित किया गया है।

ई-न्यायालय परियोजना चरण III के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति द्वारा एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) का अनुमोदन किया है जिसमें एआई और ब्लॉकचैन प्रौद्योगिकी को शामिल करने वाले घटक शामिल हैं जिन्हें सरकार द्वारा यथा निर्धारित खरीद की सम्यक् प्रक्रिया के अनुसरण के पश्चात् बाजार में उपलब्ध सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी से विकसित किया और खरीदा जाएगा।

(ङ): न्यायिक दस्तावेजों के अनुवाद में एआई भाषा प्रौद्योगिकी के उपयोग और न्यायिक पक्ष पर विधिक अनुसंधान सहायता में एआई के उपयोग के अतिरिक्त, उच्चतम न्यायालय की एआई समिति ने एआई प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित दो और क्षेत्रों की पहचान की है।

i. <u>प्रशासनिक पक्ष में प्रक्रिया स्वचालन में एआई का उपयोग</u>- एनजेडीजी डाटा से पता चलता है कि भारतीय न्यायपालिका में उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में 4.86 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। इन मामलों पर नज़र रखने और पुराने मामलों पर विशेष ध्यान देने के लिए वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और सीमान्त वर्गों से संबंधित मामले एक बड़ी चुनौती है। एआई का उपयोग कुशल केस ट्रैकिंग और केस फ्लो प्रबंधन प्राप्त करने और नीतिगत विनिश्चय करने में सहायता कर सकता है।

ii. <u>अन्य न्यायिक मार्गों में एआई के संभावित उपयोग की खोज</u>- उच्चतम न्यायालय की एआई समिति ने पाया कि उपरोक्त अवसरों/क्षेत्रों के अतिरिक्त, उन लाभों का पता लगाने की आवश्यकता है

जिनसे भूगोल, स्थलाकृति और प्रथागत विधियों, स्थानीय विशेष विधियों और मामलों की अधिक मात्रा से उत्पन्न होने वाली जटिलताएँ को देखते हुए न्याय वितरण में मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाए जा सके ।

****

उपाबंध-1

झारखंड में ई-कोर्ट से संबंधित लोक सभा प्रश्न संख्या *147 जिसका उत्तर तारीख 16.12.2022 को दिया जाना है के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण । झारखंड राज्य में ई-न्यायालय परियोजना के अधीन संचालित जिलेवार न्यायालय निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	**झारखंड के जिला/उपखंड न्यायालयों का नाम**	**ई-न्यायालय परियोजना के तहत कम्प्यूटरीकृत न्यायालय कक्षों की संख्या**
1	बोकारो	29
2	उपखंड न्यायालय बेरमो, तेनुघाट (बोकारो)	15
3	चाईबासा	12
4	चतरा	22
5	देवघर	20
6	उपखंड न्यायालय मधुपुर (देवघर)	4
7	धनबाद	51
8	दुमका	11
9	गढ़वा	16
10	गिरिडीह	22
11	गोड्डा	14
12	गुमला	11
13	हजारीबाग	30
14	जमशेदपुर	40
15	उपखंड न्यायालय घाटशिला (जमशेदपुर)	20
16	जामताड़ा	13
17	खूंटी	12
18	कोडरमा	13
19	लातेहार	18
20	लोहरदगा	11
21	पाकुर	12
22	डाल्टनगंज में पलामू	25
23	रामगढ़	22
24	रांची	39
25	साहिबगंज	14
26	सरायकेला-खरसावाँ	11
27	सिमडेगा	8
	कुल	**515**

****